http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या: /2018/ 2555 /दो-2-2018-22(32)/82
लखनऊ: दिनांक: 28 जून, 2018

कार्यालय ज्ञाप

विशेष सचिव, गोपन विभाग एवं अपर निदेशक, राजस्व एवं विशिष्ट अभिसूचना उ0प्र0, लखनउ के कार्यो के निष्पादन हेतु विशेष कार्याधिकारी पदेन विशेष सचिव, गोपन विभाग, उ0प्र0 शासन का 01 नि:सवंर्गीय अस्थाई पद कार्यालय ज्ञाप संख्या-3353/दो-2-2014-22(32)/82 दिनांक 29-08-2014 में सृजित किया गया था। उक्त पद की अन्तिम बार निरन्तरता कार्यालय ज्ञाप संख्या-27/2018/754/दो-2-2018-22(32)/82 दिनांक 28-02-2018 द्वारा दिनांक 30-06-2018 तक बढाई गयी थी। उक्त पद की आवश्यकता वर्तमान में भी बनी हुई है। अत: कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29-08-2014 द्वारा सृजित विशेष कार्याधिकारी/पदेन विशेष सचिव, गोपन विभाग, उ0प्र0 शासन के 01 नि:सवंर्गीय अस्थाई पद की निरन्तरता दिनांक 01-07-2018 से 30-09-2018 तक बढाये जाने तथा निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री कृष्ण गोपाल को उक्त वेतनमान में उक्त पद पर तैनात किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

(1) पुनर्योजित सरकारी सेवक की स्थिति एक अस्थायी सरकारी सेवक की होगी।
(2) पुनर्योजन की अवधि में वह नियत वेतन अनुमन्य होगा जो पुनर्योजित कार्मिक के अन्तिम आहरित वेतन में से शुद्ध पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व यदि कोई हो) घटाने के फलस्वरूप आये अथवा पुनर्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम जो भी कम हो, से अधिक न होगा। पुनर्योजन की अवधि में शुद्ध वेतन + शुद्ध पेंशन के योग पर महंगाई भत्ता अनुमन्य होगा किन्तु पेंशन पर पृथक से राहत अनुमन्य न होगी। इसके साथ ही पुनर्योजन की अवधि पेंशन आगणन हेतु अनुमन्य नहीं होगी।
(3) पुनर्योजित सरकारी सेवक की पुनर्योजन की अवधि समाप्त होने के पहले किसी भी समय बिना नोटिस के समाप्त की जा सकती है तथा जिस पद पर उन्हें पुनर्योजित किया गया है वह भी निर्धारित अवधि के पूर्व कभी भी समाप्त किया जा सकता है।
(4) पुनर्योजन की अवधि में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग 2-4 के सहायक नियम-157 ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुसार अवकाश देय होगा परन्तु पुनर्योजन की अवधि में अर्जित अवकाश का नकदीकरण अनुमन्य नहीं होगा।
(5) पुनर्योजन की अवधि की गणना पेंशन के लिए नहीं की जायेगी तथा पद का भार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
(6) पुनर्योजन की अवधि में कोई यात्रा तथा दैनिक भत्ते उनके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगें जैसाकि यात्रा भत्ता 16ए में प्राविधान है, अन्तिम आहरित वेतन के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) पुनर्योजन की अवधि में अस्थाई तदर्थ पेंशन की वृद्धि व राहत यदि कोई हो, अनुमन्य नहीं होगी।

2- उपर्युक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष के अनुदान संख्या-78 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-090-सचिवालय-03 सचिवालय के अधीन सुसंगत मानक मदो के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-1007/दस-2018 दिनांक 28.06.2018 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

धनन्जय शुक्ल
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0शासन।
3. प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उ0प्र0 शासन।
6. संयुक्त सचिव, इरला चेक (वेतन पर्ची अनुभाग), उ0प्र0शासन।
7. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनउ।
8. निदेशक, पेंशन निदेशालय, लखनउ।
9. नियुक्ति विभाग के समस्त अनुभाग।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5/12 एवं वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
11. सचिवालय प्रशासन अनुभाग-7/8/9 (विविध)
12. सम्बन्धित अधिकारी।
13. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।